राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

अधिसूचना
जयपुर दिनांक : 13 अप्रेल, 2017

सं.प.4(6)वित्त/आब/2017:–राजस्थान राजभाषा अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं0 47) की धारा 4 के परन्तुक के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना सं. प.4(6)वित्त/ आब/2017 दिनांक 08.3.2017 का हिन्दी अनुवाद सर्वसाधारण के सूचनार्थ एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

राज्यपाल के आदेश से,

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

(प्राधिकृत हिन्दी अनुवाद)

सं.एफ. 4 (6) एफडी/एक्साइज/2017 दिनांक : 08 मार्च, 2017

अधिसूचना

राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 (1950 का अधिनियम सं 2) की धारा 41 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान आबकारी नियम, 1956 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है और उक्त धारा की उप–धारा (3) के परन्तुक के प्रति निर्देश से आदेश देती है कि इन नियमों को पूर्व प्रकाशन से अभिमुक्त किया जाता है क्योंकि राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि इन्हें तुरन्त प्रवृत्त किया जाना चाहिए, अर्थात्:–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान आबकारी (संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 67–झ का संशोधन.– राजस्थान आबकारी नियम, 1956, जिन्हें इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 67–झ के उप नियम 2 में, विद्यमान खण्ड (घ) के पश्चात् और विद्यमान खण्ड (ङ) के पूर्व, निम्नलिखित नया खण्ड (घघ) अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(घघ) आवेदन आंमत्रित करके; और"

3. नियम 67–टटट का अन्तःस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम 67–टट के पश्चात् और विद्यमान नियम 67–ठ के पूर्व निम्नलिखित नया नियम 67–टटट अन्तः स्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"67–टटट. आवेदनों के आमंत्रण के लिए प्रक्रिया.– (1) ऐसे सामान्य या विशिष्ट निदेशों के अध्यधीन रहते हुए, जो आबकारी आयुक्त द्वारा समय समय पर जारी किये जायें, किसी क्षेत्र के लिए नियम 67–ड के अधीन अनुज्ञप्तियां आवेदन आंमत्रित करके मंजूर की जा सकेगी।

(2) ऐसे मामले में, आबकारी आयुक्त द्वारा अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिए आवेदन, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिश्चित किये गये आबकारी शुल्क के स्थान पर या उसके अतिरिक्त अनन्य विशेषाधिकार के लिए संदेय विनिर्दिष्ट राशि पर, आवेदन आंमत्रित किये जायेंगे।"

(3) आवेदन के आमंत्रण के लिए नोटिस, आवेदनों की प्राप्ति के लिए नोटिस में नियत तारीख से कम से में पन्द्रह दिन पूर्व आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किया जायेगा। नियत तारीख पर समय, जिस तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे, नोटिस में उपदर्शित किया जायेगा। आवेदन ऐसी रीति और प्ररूप में प्रस्तुत किये जायेंगे जो आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये। आवेदनों की प्राप्ति के लिए नियत तारीख और समय के पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा।

(4) आबकारी आयुक्त, किसी क्षेत्र में आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट दुकान या दुकानों से देशी मदिरा के विक्रय के लिए अनन्य विशेषाधिकार की मंजूरी के लिए संदेय रकम विनिर्दिष्ट करेगा।

(5) आवेदन या आवेदनों के गुच्छ के साथ ऐसा अग्रिम धन होगा जो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाये।

(6) आवेदन संबंधित जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्राप्त किये जायेंगे। प्राप्त समस्त आवेदन, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में रजिस्टर में दर्ज किये जायेंगें। संबंधित जिला आबकारी अधिकारी विनिर्दिष्ट दुकान या दुकानों के लिए इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा करेगा और संबंधित जिला आबकारी अधिकारी किसी आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। अस्वीकृत होने की दशा में कारण अभिलिखित किये जायेंगे।

(7) इस प्रकार प्राप्त आवेदनों की संवीक्षा के पश्चात् और यदि प्रतिग्राह्य आवेदनों की संख्या एक से अधिक है, तो संबंधित जिला आबकारी अधिकारी, संबंधित जिले के कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति के समक्ष स्वीकृत आवेदनों की सूची और लाट के ड्रा के लिए पर्चियां प्रस्तुत करेगा।

(8) जिला कलक्टर की अध्यक्षता वाली समिति, किसी क्षेत्र में आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट दुकान या दुकानों के लिए अनुज्ञप्ति मंजूर करने के लिए सफल आवेदक के चयन के लिए लाट के ड्रा निकालेगी।

(9) किसी आवेदन की स्वीकृति, आबकारी आयुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट प्ररूप में सफल आवेदक को संसूचित की जायेगी और सफल आवेदक से ऐसी संसूचना में उपदर्शित किये गये समय के भीतर राजकोष में देय प्रतिभूति और अन्य अपेक्षित रकम निक्षिप्त करवाने की अपेक्षा की जायेगी।

(10) यदि उपदर्शित किये गये समय के भीतर अपेक्षित प्रतिभूति और अन्य अपेक्षित रकम निक्षिप्त नहीं की जाती है, तो आवेदन की स्वीकृति जिला आबकारी अधिकारी द्वारा प्रतिसंहृत की जा सकेगी और ऐसे प्रतिसंहरण की दशा में आवेदन के साथ निक्षिप्त अग्रिम धन और निक्षिप्त कोई अन्य रकम सरकार को समपहृत हो जायेगी।

(11) अनुज्ञप्ति के लिए कोई आवेदन अस्वीकृत होने का दायी होगा,–

(क) यदि यह सक्षम व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया गया है या अपूर्ण है;

(ख) यदि उसके विरूद्ध आबकारी शोध्यों के बकाया परादेय हैं;

(ग) यदि आवेदक 18 वर्ष से कम आयु का है;

(घ) यदि आवेदक केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, भारत सरकार या राज्य सरकार के उद्यमों, निगमों और भारत सरकार या राज्य सरकार की कंपनियों के नियोजन में है; और

(ड़) यदि आवेदक राजस्थान आबकारी अधिनियम, 1950 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन राजस्व से संबंधितया किसी संज्ञेय और अजमानतीय अपराध या स्वापक ओषधि और मनः प्रभावी अधिनियम, 1985 के अधीन किसी दण्डनीय अपराध या पण्य वस्तु चिह्नों से संबंधित किसी विधि या भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 482 से 489 (दोनों को सम्मिलित करते हुए) के अधीन दण्डनीय किसी अपराध के लिए सिद्धदोष किया गया है।"

राज्यपाल के आदेश से,

09/2016–17

–ह0–

(हृदयेश कुमार जुनेजा)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर को असाधारण राजपत्र भाग 4 (ग) में प्रकाशनार्थ। कृपया इसकी 05 प्रतियां इस विभाग को तथा 15 प्रतियां आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को मय बिल भिजवाने की व्यवस्था करावें।
2. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, जयपुर।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, जयपुर।
6. अतिरिक्त निदेशक, कम्प्यूटर शाखा, वित्त विभाग, जयपुर।
7. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव